न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00192 **दायरा दिनांक : 26.06.2018**

उनवान

उमराव सिंह आयु 50 साल पुत्र पर्वत सिंह, जाति राजपूत, निवासी दुधलाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1 दुलेसिंह आत्मज भेरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी दुधलाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0 (मृतक)
1/1 राघू सिंह । पिसरान दुले सिंह, जाति राजपूत, निवासीगण दुधलाई,
1/2 भगवान सिंह । तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
1/3 मदनसिंह ।
1/4 भंवरबाई बेवा दुले सिंह ।
1/5 गुड्डीबाई पुत्री दुलेसिंह पत्नी गोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी खोखरिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
2 श्यामु बाई पुत्री कालु सिंह पत्नी सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुण्डी खेड़ा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
3 रामकुवर बाई पुत्री कालू सिंह पत्नी उमराव सिंह। जाति राजपूत,
4 मानाबाई पत्नी कालू सिंह । निवासी दुधलाई, तहसील पचपहाड,
5 शिव सिंह पुत्र रामसिंह । जिला झालावाड राज0
6 भूली बाई पुत्री राम सिंह पत्नी बद्री सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरवर, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2018/00191 **दायरा दिनांक : 26.06.2018**

उनवान

उमराव सिंह आयु 50 साल पुत्र पर्वत सिंह, जाति राजपूत, निवासी दुधलाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1 दुलेसिंह आत्मज भेरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी दुधलाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0 (मृतक)
1/1 राघू सिंह । पिसरान दुले सिंह, जाति राजपूत, निवासीगण दुधलाई,
1/2 भगवान सिंह । तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
1/3 मदनसिंह ।
1/4 भंवरबाई बेवा दुले सिंह ।
1/5 गुड्डीबाई पुत्री दुलेसिंह पत्नी गोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी खोखरिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
2 श्यामु बाई पुत्री कालु सिंह पत्नी सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुण्डी खेड़ा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
3 रामकुवर बाई पुत्री कालू सिंह पत्नी उमराव सिंह। जाति राजपूत,
4 मानाबाई पत्नी कालू सिंह । निवासी दुधलाई, तहसील पचपहाड,
5 शिव सिंह पुत्र रामसिंह । जिला झालावाड राज0
6 भूली बाई पुत्री राम सिंह पत्नी बद्री सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरवर, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रमेश चंद सोनी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 3, 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 31.01.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या 44/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.04.2018 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट दुले सिंह एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दुधलाई पटवार मण्डल मंदिरपुर में खाता संख्या 24 पुराना खाता संख्या 22 खसरा नम्बर 117 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 5.03 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 591 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 592 रकबा 5.02 बीघा, खसरा नम्बर 648 रकबा 2.12 बीघा कुल किता 15 रकबा 24.03 बीघा हिस्सा 1/2 है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.04.2018 से वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम दुधलाई के खाता नम्बर 24 रकबा 24.03 बीघा स्थित है। प्रकरण में डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी खाता नम्बर 24 रकबा 24.03 बीघा भूमि को वादी व प्रतिवादी के मध्य मुताबिक कब्जा व रेकार्ड अनुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये गये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 11.05.2018 से वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम दुधलाई के खाता नम्बर 24 रकबा 24.03 बीघा स्थित है। वादग्रस्त आराजी खाता नम्बर 24 रकबा 24.03 बीघा भूमि का बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया। मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

अपील संख्या 2018/00192 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रवली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय बिना अपीलांट को सुने संशोधित प्रारम्भिक डिक्री जारी की जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। दिनांक 20.06.2016 के बाद पत्रावली में कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तथा दिनांक 05.04.2018 को वादी एडवोकेट ने एक प्रार्थना पत्र संशोधित डिक्री जारी करने हेतु पेश किया, जिसकी नकल भी अपीलांट के एडवोकेट को नहीं दी गई तथा जिसकी आदेशिका भी नहीं लिखी गयी और न ही संशोधित प्रारम्भिक डिक्री पारित करने की आदेशिका लिखी गयी तथा दिनांक 20.06.2016 के बाद पत्रावली में दिनांक 22.05.2018 की आदेशिका में फाईनल डिक्री जारी कर दी गई, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे एवं मातहत न्यायालय को प्रतिवादीगण से जवाब दावा लेकर, तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील संख्या 2018/00191 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रवली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने विभाजन स्कीम पर फरीकेन को नहीं सुना, बिना अपीलांट को सुने बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.05.2018 को पेश करना बताकर दिनांक 11.05.2018 को फाईनल डिक्री पारित कर दी, जो निरस्त होने योग्य है। दिनांक 20.06.2016 के बाद पत्रावली में कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तथा दिनांक 05.04.2018 को वादी एडवोकेट ने एक प्रार्थना पत्र संशोधित डिक्री जारी करने हेतु पेश किया, जिसकी नकल भी अपीलांट के एडवोकेट को नहीं दी गई तथा जिसकी आदेशिका भी नहीं लिखी गयी और न ही संशोधित प्रारम्भिक डिक्री पारित करने

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की आदेशिका लिखी गयी तथा दिनांक 20.06.2016 के बाद पत्रावली में दिनांक 22.05.2018 की आदेशिका में फाईनल डिकी जारी कर दी गई, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व फाईनल डिकी मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिकी अपास्त की जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्राथमिक डिकी की अपील में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने प्रारम्भिक डिकी जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.10.2015 के अनुसार प्रतिवादीगण को सूचना हो चुकी है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगे हुए सम्मनों का अवलोकन करने पर पाया कि सभी प्रतिवादीगण को सम्मनों की तामील प्रोपर तरीके से हुई है। प्रतिवादीगण को प्रस्तुत वाद की सूचना हो जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता ही नियुक्त किया गया। अतः अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने प्राथमिक डिकी जारी कर दी, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी जारी करते हुये यह आदेश पारित किया है कि वादग्रस्त आराजी का मुताबिक रिकार्ड राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत वादी व प्रतिवादी के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से प्रतिवादी अपीलांट के वादग्रस्त आराजी में निहित हित व अधिकार बाधित नहीं होते है। अतः अपील संख्या 2018/00192 खारिज होने योग्य है।

अपील संख्या 2018/00191 फाईनल डिकी की अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने विभाजन स्कीम पर फरीकेन को सुने बिना ही बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.05.2018 को पेश कर उसी दिन फाईनल डिकी पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न भू अभिलेख निरीक्षक वृत मन्दिरपुर, तहसील गंगधार, जिला झालावाड के बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 09.05.2018 का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव प्रशिक्षु पटवारी द्वारा तैयार किया गया है जिसे नायब तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को मूल ही डिकी की पालना में अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखते हुए प्रेषित किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव के साथ नक्शा बंटवारा सलंग्न नहीं है। इसी प्रकार बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारों के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

महत्वपूर्ण प्रावधान अंकित है। उन प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर, पक्षकारों को पूर्व में सूचना देकर, उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था। अतः उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2018/00192 सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.04.2018 यथावत रखा जाता है एवं अपील संख्या 2018/00191 अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2018 अपास्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार गंगधार स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये नये सिरे से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करे तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, गंगधार फाईनल डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के न्यायालय में दिनांक 20.03.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

उमराव सिंह आयु 50 साल पुत्र पर्वत सिंह, जाति राजपूत, निवासी दुधलाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

......अपीलांट

बनाम

1 दुलेसिंह आत्मज भेरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी दुधलाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0 (मृतक)
1/1 राघू सिंह । पिसरान दुले सिंह, जाति राजपूत, निवासीगण दुधलाई,
1/2 भगवान सिंह । तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
1/3 मदनसिंह ।
1/4 भंवरबाई बेवा दुले सिंह ।
1/5 गुड्डीबाई पुत्री दुलेसिंह पत्नी गोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी खोखरिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
2 श्यामु बाई पुत्री कालु सिंह पत्नी सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कुण्डी खेड़ा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
3 रामकुवर बाई पुत्री कालू सिंह पत्नी उमराव सिंह। जाति राजपूत,
4 मानाबाई पत्नी कालू सिंह । निवासी दुधलाई, तहसील पचपहाड,
5 शिव सिंह पुत्र रामसिंह । जिला झालावाड राज0
6 भूली बाई पुत्री राम सिंह पत्नी बद्री सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरवर, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2018/00192** व नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, गंगधार**
मु.द.नं **44/2016** निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक – **05.04.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19** माह **01** सन् **2024**

हाजरी **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री रमेश चंद सोनी** रेस्पोडेंट नं0 2, 3, 4 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण** अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील संख्या 2018/00192 सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.04.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **31** माह **01** सन् **2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)